न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री बीरबल सिंह शेखावत, आर.ए.एस.
अपील संख्या : 425/2018

1. कैलाश पुत्र भगवान सहाय पौत्र नारायण जाति मीणा, निवासीः ग्राम मनोहरपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
2. काली देवी पुत्री भगवान सहाय पत्नि रेवड, जाति मीणा, निवासीः मनोहरपुरा, तहसील बस्सी, हाल निवासीः ध्यावणा की ढाणी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
3. तीजा देवी पुत्री नारायण सहाय पत्नि कानाराम, जाति मीणा, निवासीः ग्राम मनोहरपुरा, तहसील बस्सी, हाल निवासीः ग्राम बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
4. सुनिता देवी पुत्री भगवान सहाय पत्नि शंकरलाल, जाति मीणा, निवासीः ग्राम मनोहरपुरा, तहसील बस्सी, हाल निवासीः कचरिया, तहसील निवाई, जिला टोंक।
5. गुलाब देवी पुत्री भगवान सहाय पत्नि छोटूराम जाति मीणा निवासीः ग्राम मनोहरपुरा, तहसील बस्सी, हाल निवासीः कचरिया, तहसील निवाई, जिला टोंक।

——अपीलार्थीगण

बनाम

1. भगवान सहाय पुत्र नारायण जाति मीणा, निवासीः मनोहरपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
2. रेवड पुत्र भगवान सहाय पौत्र नारायण जाति मीणा, निवासीः ग्राम मनोहरपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
3. गोपाल पुत्र भगवान सहाय जाति मीणा, निवासीः ग्राम मनोहरपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
4. जनता देवी पत्नि भगवान सहाय जाति मीणा निवासीः ग्राम मनोहरपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
5. तहसीलदार बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
6. सब रजिस्ट्रार बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
7. भूली देवी पत्नि श्री छीतर जाति मीणा, निवासीः ग्राम जूनवालों की ढाणी, मनोहरपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

—— रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.2018 न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी, जिला जयपुर वाद संख्या 328/2016 उनवानी कैलाश बनाम भगवान सहाय अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः

श्री सियाराम शर्मा एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण
श्री हनुमान सहाय शर्मा एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 ल. 4
श्री महावीर सिंह एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 7

निर्णय दिनांकः 13/01/2020

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned by CamScanner

—: निर्णय :—

1. अपीलान्ट्स की ओर से एक अपील न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी, जिला जयपुर के वाद संख्या 328/2016 बउनवानी कैलाश बनाम भगवान सहाय में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 18.05.2018 के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 एक ही पूर्वज नारायण पुत्र रामकुंवार के वारिस उत्तराधिकारी है जिन पर राइट टू श्यू सरवाईव करते है। पक्षकारों की कब्जे काश्त खातेदारी की पैतृक भूमि खसरा नंबर 187 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 188 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 189/260 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 195 रकबा 5 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा हिस्सा 1/5 एवं खसरा नंबर 190 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 191 रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा हिस्सा 1/5 ग्राम मनोहरपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर में स्थित है। 1/5 हिस्सा वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में भगवान सहाय के नाम अंकित है। वादग्रस्त भूमि के मूल खातेदार नारायण पुत्र रामकुमार मीणा था। मूल खातेदार नारायण पुत्र रामकुंवार की सन् 2001 में मृत्यु हो गई एवं वादग्रस्त भूमि की खातेदारी भगवान सहाय पुत्र नारायण के नाम आ गई, इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पक्षकारों की पैतृक कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि है जिस पर पक्षकारान संयुक्त रूप से काबिज रहकर काश्त कर रहे है, उपयोग उपभोग कर आबाद है, लाभान्वित होते आ रहे है। कानूनन हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 व संशोधन अधिनियम 2005 के तहत् पुत्रों व पुत्रियों को पैतृक सम्पत्ति में समान हक अधिकार दिये गये है, कोपार्टनर कोपार्सनर कोशेरर की श्रेणी में रखा गया है एवं बाई बर्थ राइट माना गया है। उक्त कानून के तहत् वादग्रस्त भूमि में वादीगण 5/8 दर हिस्सा 1/5 प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का वादग्रस्त भूमि में 3/8 दर हिस्सा 1/5 बनता है जिसके लिये खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है, बिना वादीगण व प्रतिवादीगणों की पूर्ण सहमति के कोई भी व्यक्ति उनके हिस्से को कम या समाप्त नहीं कर सकता है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 वादग्रस्त भूमि के दृष्यमान स्वामी है एवं वादग्रस्त भूमि में कोपार्टनर कोपार्सनर कोशेरर की हैसियत रखते है एवं अपने हिस्से को अपने पिता के जीवनकाल में प्राप्त करने के अधिकारी है जिसकी घोषणा की जानी आवश्यक एवं न्यायोचित है। वादग्रस्त भूमि पर सभी पक्षकार संयुक्त रूप से संयुक्त हिन्दू परिवार की ईकाई बनकर काबिज रहकर काश्त कर उपयोग उपभोग कर निवास कर रहे है लाभान्वित होते आ रहे है। उक्त भूमि के अलावा पक्षकारों के पास कोई रहने की जगह नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का पिता व प्रतिवादी संख्या 4 का पति है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है, मंदबुद्वि है एवं उसे इस बात की घोर आशंका रहती है, उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाते हुये उनसे कोई कुछ भी लिखा सकता है। वादीगण व अन्य कोपार्सनरों का हित हिस्से पर अतिक्रमण कर सकता है, समाप्त करने की कोशिश कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned by CamScanner

सकता है अतः वादीगणों को वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वादी वाद स्वीकार कर वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण को 5/8 दर हिस्सा 1/5 हिस्सा बराबर व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/8 दर हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/8 दर हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या 3 को 1/8 दर हिस्सा 1/5 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जावे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वकील पक्षकारान की बहस सुनकर बाद बहस मनन दिनांक 18.05.2018 को वादी का वाद खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस मे मुख्यतः यह कथन किये कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलान्ट्स को सुने एवं अपना पक्ष रखने का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स को अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने का भी कोई अवसर नहीं दिया एवं मनमर्जी से ही बिना पक्षकारान की उपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो गलत है। इस कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.05.2018 खारिज फरमाया जावे। वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुये बताया कि वादग्रस्त आराजीयात का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र किया जा चुका है एवं आराजीयात पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण से संबंधित समस्त साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रकरण के गहन परीक्षण पश्चात् निर्णय पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। इस कारण अपील अपीलार्थी आधारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

4. वकील उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। बाद अवलोकन यह पाया वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादग्रस्त आराजीयात के संदर्भ में घोषणा का वाद प्रस्तुत किया जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 18.05.2018 के माध्यम से खारिज कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात के समुचित अवलोकन पश्चात् पाया गया कि विवादग्रस्त आराजीयात को रेस्पोडेन्ट भगवान सहाय द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अपने दर्ज हिस्से का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से पूर्व में ही किया जा चुका है। भगवान सहाय द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.10.2012 के माध्यम से विवादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 187 व 188 में हिस्सा 1/5 का बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या 7 भूली देवी के हक में एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.07.2010 के माध्यम से विवादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 191 में हिस्सा 1/5 का बेचान कमला देवी के हक में किया जा चुका है जिनका राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में इन्द्राज पूर्व में ही हो चुका है जबकि वादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा दायर वर्ष 2016 में किया गया है। वादी के पिता भगवान सहाय द्वारा अपने जीवनकाल में ही उक्त विवादग्रस्त आराजीयात में अपने हिस्से का विक्रय पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से किया गया है एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned by CamScanner

विक्रय की गई आराजीयात के संदर्भ में हुये विक्रय पत्र दिनांक 23.10.2012 एवं 01.07.2010 आज दिवस तक सक्षम माननीय सिविल न्यायालय के यहां से निरस्त नहीं हुये हैं, ऐसी स्थिति में माननीय सिविल न्यायालय के यहां से विक्रय पत्र निरस्त करवाये बिना अपीलान्ट्स कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। उपरोक्त विवेचन अनुसार स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सही निर्णय पारित किया गया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज योग्य पायी जाती है।

5. अतः अपील अपीलार्थी खारिज कर अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी, जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.05.2018 यथावत रखा जाता है। पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 13.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned by CamScanner